



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 11.02.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 11.02.2026 को 02 अभियोगों में सजा करायी गयी है।

1. थाना कोतवाली

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय एडीजे-10/स्पे0 गैरेस्टर कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000-5000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय एडीजे-10/स्पे0 गैरेस्टर कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000-5000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा सुसंगठित गैंग बना कर अपने भौतिक लाभ हेतु जघन्य अपराध कारित करना जिससे समाज में भय व्याप्त होने की मौखिक सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर दिनांक 04.01.2006 को मु0अ0सं0-06/2006 धारा 3(1) यू0पी0जी गैरेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक श्री महेश चन्द्र के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 अक्षय मोदी व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11.02.2026 को अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0जी गैरेस्टर एक्ट मा0 न्यायालय एडीजे-10/स्पे0 गैरेस्टर कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000-5000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

सजायाफ्ता अपराधी-

1. आशू उर्फ गौरव शर्मा पुत्र गोविन्द निवासी पक्का बाग थाना कोतवाली जनपद इटावा।
2. नीरज शर्मा पुत्र महेश बाबू निवासी पुरोहितन टोला थाना कोतवाली जनपद इटावा।
3. सौरभ शुक्ला पुत्र शरण शुक्ला निवासी 340 छिपैटी थाना कोतवाली जनपद इटावा।